राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........1126 / 2015................................. जिला ....भरतपुर...

उनवान : मैसर्स मोहन ट्रेडिंग कम्पनी, भरतपुर

बनाम

(1) सहायक आयुक्त, वृत–बी, भरतपुर (2) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ श्री मनोहर पुरी, सदस्य	
05 / 08 / 2015	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 21 / RVAT / 2014–15 / अपी.प्राधि. / भरतपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.03.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–बी, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2010–11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 / 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 19.02.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया वसूली योग्य राशि रूपये 1,59,185 /– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री ओ. पी. गुप्ता तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में शेष वसूली योग्य मांग राशि **रूपये 1,59,185 /–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख तलब किया जावे। पक्षकारों को सूचित किया जावे। पत्रावली वास्ते सुनवाई एकलपीठ कैम्प–जयपुर के समक्ष दिनांक 15.10.2015 को पेश हो। (मनोहर पुरी) 05.08.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	